सख्ती • जनहित याचिकाओं पर सीजे सिन्हा की बेंच में सुनवाई, 30 दिन में मांगी रिपोर्ट

अरपा के सूखने पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता, पूछा- दो फावड़ा चलाने से साफ हो जाएगी?

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

अरपा नदी के संरक्षण और संवर्धन की मांग को लेकर लगाई गई जनहित याचिकाओं पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने नदी के सूखने पर गहरी चिंता जताई। कोर्ट ने अवैध उत्खनन और परिवहन रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर असंतोष जाहिर किया। उन्होंने पूछा-अरपा नदी दो फावड़ा चलाने से साफ हो जाएगी? कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि कलेक्टर को अपनी ड्यूटी ऑफिस में बैठकर करनी चाहिए। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।

जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने बताया कि खनिज विभाग के सचिव का शपथ पत्र पेश किया गया है। राज्य सरकार ने अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण रोकने के लिए 6 सदस्यीय समिति बनाई है। इसमें खनिज विभाग के उपसंचालक और खनिज अधिकारी शामिल हैं। समिति को 30 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। रिपोर्ट के आधार पर खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में बदलाव की प्रक्रिया विधि विभाग को भेजी जाएगी। हाईकोर्ट ने नदी के पुनर्जीवन को लेकर बिलासपुर कलेक्टर के प्रयासों पर नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस ने कहा- कलेक्टर नदी की सफाई कर रहे हैं या फोटो खिंचाने के लिए दिखावा कर रहे हैं? अगर सफाई ही करनी है तो कलेक्टोरेट छोड़ दें और सफाई करें। कोर्ट ने टिप्पणी की कि *कलेक्टर जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्हें सकारात्मक कदम उठाने चाहिए।*

अवैध उत्खनन- परिवहन रोकने किए जा रहे कामों पर जताया असंतोष

अरपा नदी में कई जगहों पर जलकुंभियां उग आई हैं लेकिन इसकी सफाई नहीं हो रही।

बताया-पुणे की कंपनी से मिली प्रोजेक्ट रिपोर्ट

स्ट्रीम इंफ्रा डेवलपमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, पुणे से परियोजना रिपोर्ट मिल चुकी है। डीपीआर के सत्यापन के लिए पीएचई विभाग के सीई से तकनीकी रिपोर्ट मांगी गई थी। रिपोर्ट अप्रूव होने के बाद कंपनी ने 10 फरवरी को संशोधित प्लान दिया। प्रशासनिक मंजूरी के बाद टेंडर भी हो गया। हाईकोर्ट ने निगम आयुक्त से शपथ पत्र देने को कहा है।

हाई कोर्ट ने कहा था- अवैध खनन रोकने सख्त कानून हो

कोर्ट ने 12 फरवरी के आदेश में कहा था कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में अवैध उत्खनन और परिवहन पर आपराधिक मुकदमा चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त कानून लाने के निर्देश दिए थे।

अवैध खनन हुआ तो अब अफसरों पर सख्त कार्रवाई

हाईकोर्ट ने सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर अवैध उत्खनन जारी रहा तो दोषी अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अरपा नदी की सफाई और ट्रीटमेंट प्लांट की प्रगति पर भी रिपोर्ट मांगी गई है।